



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 12 मार्च, 2026 ई०

(फाल्गुन 21, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-2774/दस-लाइसेंस-दे० मदिरा बोतल भराई/नियमावली/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 12 मार्च, 2026 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-20

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिसूचना संख्या 7359-दस-लाइसेंस/देशी मदिरा बोतल भरने की नियमावली 2020, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 में संशोधन करने की दृष्टि से, एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, (प्रथम संशोधन) 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, (प्रथम संशोधन) 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-3 का संशोधन- उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 (जिसे आगे उक्त नियमावली 2022 कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
3- लाइसेंस की स्वीकृति -	3-लाइसेंस की स्वीकृति -
(1) बोतलों में भरने का लाइसेंस, प्रपत्र सी0एल0बी0-1 में आबकारी आयुक्त द्वारा निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है:-	(1) बोतलों में भरने का लाइसेंस, प्रपत्र सी0एल0बी0-1 में आबकारी आयुक्त द्वारा निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है:-
(क) आसवक (डिस्टिलर) को देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए;	(क) आसवक (डिस्टिलर) को देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए;
(ख) पी०डी०-33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का विनिधान तथा न्यूनतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को पच्चीस लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ पत्र द्वारा यह आश्वासन प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे देशी मदिरा की बोतल भराई हेतु सी0एल0बी0-1 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्षों के भीतर स्वीकृत क्षमता का पच्चीस रुपया प्रति कि०ली० जमा कर पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। यदि उक्त इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृतकर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा;	(ख) पी०डी०-33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का विनिधान तथा न्यूनतम 40 के0एल0 पी.डी. प्रतिदिन की क्षमता हो, को पच्चीस लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ पत्र द्वारा यह आश्वासन प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे देशी मदिरा की बोतल भराई हेतु सी0एल0बी0-1 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्षों के भीतर स्वीकृत क्षमता का पैंतीस रुपया प्रति कि०ली० जमा कर पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। यदि उक्त इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृतकर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा;
(2) प्रपत्र सी0एल0बी0-1 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पूर्णतः या उसके आंशिक भाग को निम्नलिखित को समनुदेशित कर सकता है:-	(2) प्रपत्र सी0एल0बी0-1 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पूर्णतः या उसके आंशिक भाग को निम्नलिखित को समनुदेशित कर सकता है:-
(क) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य आसवक;	(क) उत्तर प्रदेश के अन्य आसवक;
(ख) भारत में अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक;	(ख) भारत में अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक;

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि सी0एल0बी0-1 लाइसेंस धारक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस स्वीकृत न कर दिया गया हो;	परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि सी0एल0बी0-1 लाइसेंस धारक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस स्वीकृत न कर दिया गया हो;
(3) किसी आसवक को बोतल में भरने हेतु सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस, आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकता है:-	(3) किसी आसवक को बोतल में भरने हेतु सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस, आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकता है:-
(क) कोई आसवक, बोतल में भरी गई स्प्रिंट के लेबलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा;	(क) कोई आसवक, बोतल में भरी गई स्प्रिंट के लेबलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा;
(ख) आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन के सिवाय और उसके अनुसार रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।	(ख) आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन के सिवाय और उसके अनुसार रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।

3. नियम-4 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-4 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
4. लाइसेंस फीस – इस नियमावली के नियम 7(2) में नवीकरण शुल्क के दिये गये आगणन विधि के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए प्रपत्र सी0एल0बी0-1 अथवा सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।	4. लाइसेंस फीस – इस नियमावली के नियम 7(2) में लाइसेंस फीस / नवीकरण शुल्क के दिये गये आगणन विधि के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए प्रपत्र सी0एल0बी0-1 अथवा सी0एल0बी0-2 में लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है:

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
परन्तु यह कि प्रपत्र सी0एल0बी0-2 में नये लाइसेंसी स्वीकृति फ्रेंचाइजी फीस , जैसा कि नियम 7(2) में विहित की गयी है, भी आबकारी वर्ष के आंशिक भाग के लिए संदेय होगी। परन्तु यह कि प्रपत्र सी0एल0बी0-1 या सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के लिए न्यूनतम लाइसेंस फीस दो लाख रुपये होगी।	परन्तु यह कि प्रपत्र सी0एल0बी0-2 में नये लाइसेंसी स्वीकृति फ्रेंचाइजी फीस, जैसा कि नियम 7(2) में विहित की गयी है, भी आबकारी वर्ष के आंशिक भाग के लिए संदेय होगी; परन्तु यह और कि प्रपत्र सी0एल0बी0-1 या सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के लिए न्यूनतम लाइसेंस फीस दो लाख रुपये होगी।

4. नियम-5 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-एक में, दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5- आवेदन किए जाने की प्रक्रिया- 5(1) नियम-3 के अधीन बोटल भराई लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति आवेदन पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा और वह आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:- (क) सी0एल0बी0-1 लाइसेंस के मामले में राज्य में वैध आसवनी लाइसेंस, अथवा (ख) वैध पी0डी0-33 लाइसेंस तथा नियम- 3 (1) (ख) में निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने के प्रमाण में अभिलेखीय साक्ष्य; (ग) सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के मामले में, राज्य अथवा अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में वैध आसवनी लाइसेंस; (घ) अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जियो टैगिंग सहित स्थान और भू-गृहादि, जिसमें बोटल की भराई की जायेगी; (ङ.) अभिलेख की प्रति जिसमें प्रस्तावित स्थल अथवा क्षेत्र पर आवेदक का अधिकार, हक एवं हित प्रदर्शित हो;	5- आवेदन किए जाने की प्रक्रिया- 5(1) नियम-3 के अधीन बोटल भराई लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति आवेदन पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा और वह आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:- (क) सी0एल0बी0-1 लाइसेंस के मामले में राज्य में वैध आसवनी लाइसेंस, अथवा (ख) वैध पी0डी0-33 लाइसेंस तथा नियम- 3 (1) (ख) में निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने के प्रमाण में अभिलेखीय साक्ष्य; (ग) सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के मामले में, राज्य अथवा अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में वैध आसवनी लाइसेंस; (घ) अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जियो टैगिंग सहित स्थान और भू-गृहादि, जिसमें बोटल की भराई की जायेगी; (ङ.) अभिलेख की प्रति जिसमें प्रस्तावित स्थल अथवा क्षेत्र पर आवेदक का अधिकार, हक एवं हित प्रदर्शित हो;

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(च) सप्ताह या माह के अधिकतम संख्या दिवस, जिसके -----	(च) सप्ताह या माह के अधिकतम संख्या दिवस, जिसके दौरान बोटल भराई की जायेगी।
(छ) तीन प्रतियों में भू-गृहादि का एक विस्तृत नक्शा, सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों; दौरान बोटल भराई की जायेगी; जिसमें विभिन्न कक्ष या उपकक्ष तथा उसमें	(छ) तीन प्रतियों में भू-गृहादि का एक विस्तृत नक्शा जिसमें विभिन्न कक्ष या उपकक्ष तथा उसमें सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों;
(ज) इस आशय का शपथ पत्र कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(ज) इस आशय का शपथ पत्र कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(झ) आवेदित वर्ष में भरी जाने वाली बोटलों की कुल संख्या के संबंध में एक घोषणा पत्र।	(झ) आवेदित वर्ष में भरी जाने वाली बोटलों की कुल संख्या के संबंध में एक घोषणा पत्र ।
(2) यदि जाँच के पश्चात् आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस धारण करने योग्य है तथा जिस भू - गृहादि में वह बोटलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी एक लाख रुपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पदनाम से गिरवीकृत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस जारी करने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर उपगत होने वाला व्याज, जब वह देय हो जाय, आहरित करने की अनुज्ञा दी जायेगी ।	(2) यदि जाँच के पश्चात् आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस धारण करने योग्य है तथा जिस भू - गृहादि में वह बोटलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी एक लाख रुपये की ई-बैंक गारंटी के रूप में, जो आबकारी आयुक्त के पदनाम से गिरवीकृत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस जारी करने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर उपगत होने वाला व्याज, जब वह देय हो जाय, आहरित करने की अनुज्ञा दी जायेगी ।

5. नियम 6 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ- एक में, दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
6- लाइसेंस संचालित करने के लिए बंधपत्र एवं प्रतिभूति - लाइसेंसधारी प्रपत्र सी0एल0बी0 में एक बन्ध पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या व्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी वचन पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत बैंक पास बुक या	6- लाइसेंस संचालित करने के लिए बंधपत्र एवं प्रतिभूति - लाइसेंसधारी प्रपत्र सी0एल0बी0 में एक बन्ध पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या व्याज वाहक प्रतिभूति, धनराशि आबकारी आयुक्त को गिरवीकृत ई-बैंक गारंटी के रूप में दी

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या भारतीय स्टेट बैंक या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी अन्य बैंक की सावधि जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि इस प्रकार नियत की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।	जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि इस प्रकार नियत की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।

6. नियम 7 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)									
7-(1) बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण:- बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र सी0एल0बी0-3 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई आंशिक भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र सी0एल0बी0-1 अथवा सी0एल0बी0-2 में बोतल भरने के लाइसेंस को आगामी आबकारी वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है, किन्तु लाइसेंस सम्बन्धित पी0डी0-2/ पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता की अवधि तक ही वैध रहेगा। (2) किसी वर्ष के लिए नवीकरण के आवेदन पत्र के साथ नवीकरण के लिए आबकारी वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की कुल संख्या के संबंध में एक घोषणा पत्र संलग्न होगा। उक्त आबकारी वर्ष के लिए सीएलबी -1 और सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण शुल्क की गणना रूपया दो लाख रुपये प्रति पचास लाख बोतल या उसके किसी भाग, जो विहित धारिताओं में उक्त घोषणा पत्र में यथाउल्लिखित भरी जानी हो, की दर से की जायेगी और इसे लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा:	7-(1) बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण:- बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र सी0एल0बी0-3 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई आंशिक भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र सी0एल0बी0-1 अथवा सी0एल0बी0-2 में बोतल भरने के लाइसेंस को आगामी आबकारी वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है, किन्तु लाइसेंस सम्बन्धित पी0डी0-2/ पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता की अवधि तक ही वैध रहेगा। (2) किसी वर्ष के लिए लाइसेंस फीस/नवीकरण के लिए आसवनी द्वारा आबकारी वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों पर निम्नलिखित दर से लाइसेंस/नवीकरण शुल्क संदेय होगी:- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>लाइसेंस का प्रकार</th><th>देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल.</th></tr><tr><td>1</td><td>सी.एल.बी.-1</td><td>04 पैसा प्रति 200 एम.एल.</td></tr><tr><td>2</td><td>सी.एल.बी.-2</td><td>06 पैसा प्रति 200 एम.एल.</td></tr></table> उपरोक्त उल्लिखित दर पर बोतल भराई शुल्क बोतल भराई के समय जमा कराया जायेगा।	क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल.	1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.	2	सी.एल.बी.-2	06 पैसा प्रति 200 एम.एल.
क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल.								
1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.								
2	सी.एल.बी.-2	06 पैसा प्रति 200 एम.एल.								

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
परन्तु यह कि यदि आबकारी वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की वास्तविक संख्या, घोषणा पत्र में उल्लिखित बोतलों की संख्या से अधिक होने वाली हो, तो लाइसेंसधारी इसके लिए एक अतिरिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा और उपर्युक्तानुसार आगणित नवीकरण शुल्क की अतिरिक्त धनराशि जमा करेगा: परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि किसी भी स्थिति में प्रतिदेय या समायोज्य नहीं होगी । परन्तु यह और कि सीएलबी - 1 या सीएलबी-2 लाइसेंस के लिए न्यूनतम नवीकरण शुल्क दो लाख रुपये होगा । परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के आधे के बराबर फ्रेंचाइजी शुल्क और अतिरिक्त नवीकरण शुल्क के आधार पर आगणित अतिरिक्त फ्रेंचाइजी शुल्क, यदि कोई हो, सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण के लिए भी संदेय होगा ।	परन्तु यह कि नवीकरण शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि किसी भी स्थिति में प्रतिदेय या समायोज्य नहीं होगी । परन्तु यह और कि सी.एल.बी.-1 या सी.एल.बी.-2 लाइसेंस के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क / नवीकरण शुल्क दो लाख रुपये होगा । परन्तु यह भी कि नवीकरण शुल्क/लाइसेंस शुल्क के आधे के बराबर फ्रेंचाइजी शुल्क और अतिरिक्त नवीकरण शुल्क के आधार पर आगणित अतिरिक्त फ्रेंचाइजी शुल्क, यदि कोई हो, सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण के लिए भी संदेय होगा ।

7. नियम 8 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
8- लाइसेंस की निबन्धन और शर्तें- प्रपत्र सी०एल०बी०-1 तथा सी०एल०बी०-2 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन होगा:- (1) लाइसेंसधारी, बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानुमोदित हो और लाइसेंस पर सम्यक् रूप से पृष्ठांकित हो । उक्त भू-गृहादि का प्रयोग देशी मदिरा को बोतल में भरने एवं उसे भंडारित करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा;	8- लाइसेंस की निबन्धन और शर्तें- प्रपत्र सी०एल०बी०-1 तथा सी०एल०बी०-2 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन होगा:- (1) लाइसेंसधारी, बोतल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानुमोदित हो और लाइसेंस पर सम्यक् रूप से पृष्ठांकित हो । उक्त भू-गृहादि का प्रयोग देशी मदिरा को बोतल में भरने एवं उसे भंडारित करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा;

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(2) लाइसेंसधारी, उक्त भू-गृहादि में आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार के सभी परिवर्धन एवं परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं नीलेमुद्रण पर दर्शाये जायेंगे; (3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी, मदिरा के भंडारण के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई के कुण्ड परिनिर्मित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करें; (4) बोतलों में भरी गयी मदिरा, पृथक कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी; (5) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है; (6) सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण या तीव्रतावरोह निषिद्ध है; (7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार देशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंजन करने वाला पदार्थ अथवा कोई अन्य पदार्थ मिलाना निषिद्ध है; (8) विशेष परिस्थितियों में, भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतल भराई कक्ष को, आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु यह कि किसी भी दशा में देशी मदिरा की बोतल भराई के समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई नहीं की जायेगी;	(2) लाइसेंसधारी, उक्त भू-गृहादि में आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार के सभी परिवर्धन एवं परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं नीलेमुद्रण पर दर्शाये जायेंगे; (3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी, मदिरा के भंडारण के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई के कुण्ड परिनिर्मित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करें; (4) बोतलों में भरी गयी मदिरा, पृथक कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी; (5) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है; (6) सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण या तीव्रतावरोह निषिद्ध है; (7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार देशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंजन करने वाला पदार्थ अथवा कोई अन्य पदार्थ मिलाना निषिद्ध है; (8) विशेष परिस्थितियों में, भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतल भराई कक्ष को, आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु यह कि किसी भी दशा में देशी मदिरा की बोतल भराई के समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई नहीं की जायेगी;

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(9) लाइसेंसधारी, देशी मदिरा को ऐसी क्षमता एवं तीव्रता की बोतलों या अन्य संधानों में भराई करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किया जाये; (10) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों या अन्य संधानों के संबंध में जारी निदेशों का अनुपालन करेगा; (11) ट्रेड पैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर वर्ष के अंतिम दो अंक सहित शब्द "यू०पी०ई०" अधिमुद्रित किया जाएगा; (12) बोतलों को भरने के तुरंत बाद, बोतलबंद मदिरा के भंडारण कक्ष में निकालने से पूर्व उनमें सुरक्षा कोड चस्पा करने के साथ कार्क, कैप्सूल तथा लेबल लगा दिया जाएगा। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नंबर के रूप में जाना जाता है, और यह बैच नम्बर लेबल पर लिख दिया जायेगा । आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अनुरक्षित किया जायेगा और प्रस्तुत किया जाएगा; (13) बोतलों पर लेबल इस प्रकार चिपकाये जायेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सके। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित शब्दों, अक्षरों तथा अंको पर लेबल नहीं चिपकाया जाएगा; (14) लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो; (15) बॉटलिंग इकाई, ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिए ऐसी समस्त व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विहित किया गया है ।	(9) लाइसेंसधारी, देशी मदिरा को ऐसी क्षमता एवं तीव्रता की बोतलों या अन्य संधानों में भराई करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किया जाये; (10) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों या अन्य संधानों के संबंध में जारी निदेशों का अनुपालन करेगा; (11) ट्रेड पैक के लेबुलों पर वर्ष के अंतिम दो अंक सहित अक्षर "यू०पी०ई०" अधिमुद्रित किया जाएगा; (12) बोतलों को भरने के तुरंत बाद, बोतलबंद मदिरा के भंडारण कक्ष में निकालने से पूर्व उनमें सुरक्षा कोड चस्पा करने के साथ कार्क, कैप्सूल तथा लेबल लगा दिया जाएगा। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नंबर के रूप में जाना जाता है, और यह बैच नम्बर लेबल पर लिख दिया जायेगा । आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अनुरक्षित किया जायेगा और प्रस्तुत किया जाएगा; (13) बोतलों पर लेबल इस प्रकार चिपकाये जायेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सके। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित शब्दों, अक्षरों तथा अंको पर लेबल नहीं चिपकाया जाएगा; (14) लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो; (15) बॉटलिंग इकाई, ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिए ऐसी समस्त व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विहित किया गया है ।

4- प्रपत्र सी0एल0बी-1 और प्रपत्र सी०एल० बी2 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी0एल0बी-1 और प्रपत्र सी०एल० बी-2 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सी0एल0बी - 1 {नियम - 3 } देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस रजिस्टर सं- लाइसेंसधारी का नाम व पता मुहल्ला देशी मदिरा को बोतलों में भरने एवं प्रतिफल फीस एवं यथा स्थिति अन्य फीस का संदाय करने के पश्चात इसे थोक लाइसेंसों को प्रेषित करने हेतु एतद्द्वारा को जिला में से तक की अवधि के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 के नियम-7 (2) के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस और नियम-5 (2) में विहित प्रतिभूति अग्रिम रूप से जमा/प्रस्तुत की गयी है, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। यह लाइसेंस उक्त नियमावली एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहत हो जाने के लिये दायी होगा:- लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण..... जियो टैगिंग :- अक्षांश देशान्तर	सी0एल0बी - 1 {नियम - 3 } देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस रजिस्टर सं- लाइसेंसधारी का नाम व पता मुहल्ला देशी मदिरा को बोतलों में भरने एवं यथास्थिति प्रतिफल फीस और अन्य फीस का संदाय करने के पश्चात इसे थोक लाइसेंसों को प्रेषित करने हेतु एतद्द्वारा को जिला में से तक की अवधि के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 के नियम-7 (2) के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस और नियम-5 (2) के अधीन विहित प्रतिभूति अग्रिम रूप से जमा/प्रस्तुत की गयी है, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। यह लाइसेंस उक्त नियमावली एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहत हो जाने के लिये दायी होगा:- लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण..... जियो टैगिंग :- अक्षांश देशान्तर

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
शर्तें	शर्तें
1. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिए हकदार नहीं होगा।	1. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिए हकदार नहीं होगा।
2. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबलों पर अपना स्वयं का ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिए हकदार होगा।	2. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबलों पर अपना स्वयं का ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिए हकदार होगा।
3. आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।	3. आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।
4. लाइसेंसधारी, टेट्रापैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर शब्द "यू०पी०ई०" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा।	4. लाइसेंसधारी, टेट्रापैक के लेबुलों पर शब्द "यू०पी०ई०" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा।
5. लाइसेंसधारी, अपने स्वयं के उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अलग से स्टोक रखेगा।	5. लाइसेंसधारी, अपने स्वयं के उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अलग से स्टोक रखेगा।
6. लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं, विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।	6. लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं, विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल फीस एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने पर समस्त निकासियाँ दी जायेंगी।	7. उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल फीस एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने के पश्चात् समस्त निकासियाँ दी जायेंगी।
8. लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।	8. लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।
9. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी०एल०बी-1 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	9. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी०एल०बी-1 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
10. लाइसेंस प्राप्त परिसर से बोतल में भरी गयी देशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो। 11. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो। 12. लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का, जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्विन बनायी गयी निमयावली में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।	10. उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाये बिना लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि से कोई भी बोतलबंद देशी मदिरा की निकासी नहीं की जायेगी। 11. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो। 12. लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का, जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्विन बनायी गयी निमयावली में उपबंधित हैं, कठोरता से पालन करेगा।
नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन	नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन
यह लाइसेंस, एतद्वारा, एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है:- अवधि	यह लाइसेंस, एतद्वारा, एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है:- अवधि
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।	आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
सी०एल० बी-2 {नियम 3(2). 3(3)}	प्रपत्र सी०एल० बी-2 {नियम 3(2). 3(3)}
देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए लाइसेंस रजिस्टर सं०	देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए लाइसेंस रजिस्टर सं०
लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता
मुहल्ला	मुहल्ला

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
देशी मदिरा को बोतलों में भरने एवं प्रतिफल फीस एवं यथा स्थिति अन्य फीस का संदाय करने के पश्चात इसे थोक लाइसेंसों को प्रेषित करने हेतु एतद्वारा को जिला में से तक की अवधि के लिए (सी. एल. बी.-1 लाइसेंस धारक आसवनी का नाम) में, जिसके लिए उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 के नियम - 7 (2) के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइजी फीस और नियम - 5 (2) में विहित प्रतिभूति अग्रिम रूप से जमा / प्रस्तुत की गयी है, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। यह लाइसेंस उक्त नियमावली एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होगा:- लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण पूर्व..... पश्चिम उत्तर..... दक्षिण जियो टैगिंग:- अक्षांश देशान्तर शर्तें 1. लाइसेंसधारी सी. एल. बी.-1 लाइसेंस धारक आसवनी या पी०डी०33 लाइसेंसधारी आसवनी, जिसने बोतल भराई का विशेषाधिकार लाइसेंसधारी को समनुदेशित किया है, से ही बोतलों में भराई हेतु जब और जितनी आवश्यकता हो, सुसंगत नियम के अनुसार देशी मदिरा प्राप्त करेगा ।	देशी मदिरा को बोतलों में भरने एवं यथास्थिति प्रतिफल फीस और अन्य फीस का संदाय करने के पश्चात इसे थोक लाइसेंसों को प्रेषित करने हेतु एतद्वारा को जिला में से तक की अवधि के लिए (सी. एल. बी.-1 लाइसेंस धारक आसवनी का नाम) में, जिसके लिए उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2022 के नियम-7 (2) के अनुसार आगणित लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइजी फीस और नियम- 5 (2) के अधीन विहित प्रतिभूति अग्रिम रूप से जमा / प्रस्तुत की गयी है, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। यह लाइसेंस उक्त नियमावली एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा जिनमें से किसी उपबंध का व्यतिक्रमण किये जाने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त अपना लाइसेंस और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होगा:- लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण पूर्व..... पश्चिम उत्तर..... दक्षिण जियो टैगिंग:- अक्षांश देशान्तर शर्तें 1. लाइसेंसधारी सी. एल. बी.-1 लाइसेंस धारक आसवनी या पी०डी०33 लाइसेंसधारी आसवनी, जिसने बोतल भराई का विशेषाधिकार लाइसेंसधारी को समनुदेशित किया है, से ही बोतलों में भराई हेतु जब और जितनी आवश्यकता हो, सुसंगत नियम के अनुसार देशी मदिरा प्राप्त करेगा ।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
2. लाइसेंसधारी, इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित की गयी मात्रा से अधिक देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा ।	2. लाइसेंसधारी, इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित की गयी मात्रा से अधिक देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा ।
3. लाइसेंसधारी, टेद्रा पैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर शब्द "यू०पी०ई०" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा ।	3. लाइसेंसधारी, टेद्रा पैक के लेबुलों पर शब्द "यू०पी०ई०" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा ।
4. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिए हकदार होगा ।	4. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिए हकदार होगा ।
5. आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा ।	5. आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना, समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा ।
6. लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का, जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्दीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित हैं, कठोरता से पालन करेगा।	6. लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का, जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्दीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित हैं, कठोरता से पालन करेगा।
7. लाइसेंसधारी, अपने उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अपना स्टॉक पृथक रखेगा ।	7. लाइसेंसधारी, अपने उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अपना स्टॉक पृथक रखेगा ।
8. लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।	8. लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
9. उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने पर समस्त निकासियाँ दी जायेंगी ।	9. उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने के पश्चात् समस्त निकासियाँ दी जायेंगी ।
10. लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।	10. लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
11. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी - 2 भू - गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । 12. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिए हकदार नहीं होगा । 13. लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि से बोतल में भरी गयी किसी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो। 14. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो । आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश । नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन यह लाइसेंस, एतद्वारा, एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है। अवधि..... आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।	11. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी - 2 भू - गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । 12. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा स्वीकृत मात्रा से अधिक देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए हकदार नहीं होगा । 13. उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाये बिना लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि से कोई भी बोतलबंद देशी मदिरा की निकासी नहीं की जायेगी। 14. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो । आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश । नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन यह लाइसेंस, एतद्वारा, एतदपूर्व उल्लिखित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है। अवधि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2774/X-License-Bottling of Country Liquor/Rules/2025-26

*Prayagraj, Dated : March 12, 2026***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022 published vide Notification no. 7359/ X-Licence/**Bottling of Country Liquor Rules-2020** dated October 03, 2022, namely:—

**THE UTTAR PRADESH BOTTLING OF COUNTRY LIQUOR
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2025**

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor (**First Amendments**) Rules, 2025.

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 01st day of April, 2025.**

2. Amendment of rule-3— In the Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022, (hereinafter referred to as the “said rules”), for rule 3 set out in **Column-I** below, the rule as set out in **Column-II**, shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
3. Grant of Licence (1) A bottling license in form C.L.B-1 may be granted by the Excise Commissioner to: (a) A distiller to bottle Country Liquor; (b) A company or a unit holding PD-33 license to establish a potable distillery, having a minimum investment of Rs. 50 crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit supported by Bank Guarantee for rupees twenty five Lakhs that it shall install potable distillery within two years by depositing Rs. Twenty five per kilolitre of sanctioned capacity from the date of grant of C.L.B-1 license to bottle country liquor. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in favor of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling license shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned;	3. Grant of Licence- (1) A bottling license in Form C.L.B-1 may be granted by the Excise Commissioner to: (a) a distiller to bottle Country Liquor; (b) a company or a unit holding PD-33 license to establish a potable distillery, having a minimum investment of Rs. 50 crore and a minimum capacity of 40 KLPD per day , on giving an assurance and commitment by an affidavit supported by Bank Guarantee for rupees twenty-five lakhs that it shall install potable distillery within two years by depositing Rs. thirty-five per kiloliter of sanctioned capacity from the date of grant of C.L.B-1 license to bottle country liquor. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in favor of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(2) The holder of a license in form C.L.B-1 may assign whole or any part of his bottling privilege to:- (a) Another distiller of Uttar Pradesh. (b) A distiller of another state or union Territory in India. Provided that no such assignee shall exercise any right as such unless a license in C.L.B-2 has been granted to him by the Excise Commissioner on an application made by the holder of C.L.B-1 license. (3) A bottling license in Form C.L.B-2 may be granted by the Excise Commissioner to a distiller subject to the following conditions: (a) A distiller shall be entitled to put his own brand name on the labels of the spirit bottled by him after obtaining the approval of the Excise Commissioner. (b) Coloring, blending, flavoring or reduction of spirit except under and in accordance with a special permission of the Excise Commissioner shall be prohibited.	(2) The holder of a license in Form C.L.B-1 may assign whole or any part of his bottling privilege to:- (a) another distiller of Uttar Pradesh; (b) a distiller of another State or union Territory in India; Provided that no such assignee shall exercise any right as such unless a license in C.L.B-2 has been granted to him by the Excise Commissioner on an application made by the holder of C.L.B-1 licence. (3) A bottling licence in Form C.L.B-2 may be granted by the Excise Commissioner to a distiller subject to the following conditions:- (a) a distiller shall be entitled to put his own brand name on the labels of the spirit bottled by him after obtaining the approval of the Excise Commissioner; (b) Colouring, blending, flavoring or reduction of spirit except under and in accordance with a special permission of the Excise Commissioner shall be prohibited.

3. **Amendment of rule 4**—In the said rules, for the existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
4. Licence Fee- The License in form C.L.B-1 or C.L.B.-2 may be granted for an excise year or part thereof on payment of license fee calculated as per procedure of calculating renewal fee given in rule-7(2) of these rules. Provided that a franchise fee as prescribed in rule-7(2) shall also be payable for the grant of new licence in form C.L.B-2 for the excise year or part thereof. Provided further that rupees two lacs will be the minimum license fee for CLB-1 or CLB-2 licenses.	4. Licence Fee- The License in Form C.L.B-1 or C.L.B.-2 may be granted for an excise year or part thereof on payment of license fee calculated as per procedure of calculating renewal fee/license fee given in rule-7(2) of these rules: Provided that a franchise fee as prescribed in rule 7(2) shall also be payable for the grant of new licence in Form C.L.B-2 for the excise year or part thereof : Provided further that rupees two lakhs will be the minimum licence fee for CLB-1 or CLB-2 licenses.

4. Amendment of rule 5—In the said rules, for the existing rule 5 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
5. Process of Application- 5(1) A person, applying for a bottling license under Rule-3, shall upload application on the designated Portal and he shall also along-with the application furnish the following particulars to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh namely. (a) a valid distillery license in the state in case of C.L.B-1 license; or (b) a valid PD-33 Licence and documentary evidence in support of fulfilling criteria as laid down in Rule 3 (1)(b). (c) in case of C.L.B-2 Licence, a valid distillery licence in the state or another state or union Territory. (d) the place and premises in which bottling shall be carried on along with Geo tagging showing latitude and longitude. (e) copy of the document showing the applicant's right, title and interest on the proposed site or the area. (f) the approximate number of days in a week or month during which bottling shall be carried on; (g) a detailed plan of the premises in triplicate showing the different rooms or compartments and all the permanent fixtures therein. (h) Affidavit of the intent that he is not in the arrear of public dues or Government dues. (2) The Excise Commissioner, if satisfied on enquiry that the applicant is a fit person to hold the required license and the premises in which such person proposes to carry on bottling are suitable, may, grant the license. Every such licensee shall deposit Rs. One lakh as security in form FDR or TDR pledged in the name of the Excise Commissioner, before issue of license. The licensee shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.	5. Process of Application- 5(1) A person, applying for a bottling license under rule-3, shall upload application on the designated portal and he shall also, along with the application, furnish the following particulars to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, namely:- (a) a valid distillery license in the State in case of C.L.B-1 license; or (b) a valid PD-33 Licence and documentary evidence in support of fulfilling criteria as laid down in rule 3 (1)(b); (c) in case of C.L.B-2 Licence, a valid distillery licence in the State or another State or Union Territory; (d) the place and premises in which bottling shall be carried on along with geo tagging showing latitude and longitude; (e) copy of the document showing the applicant's right, title and interest on the proposed site or the area; (f) the approximate number of days in a week or month during which bottling shall be carried on; (g) a detailed plan of the premises in triplicate showing the different rooms or compartments and all the permanent fixtures therein; (h) affidavit of the intent that he is not in the arrear of public dues or Government dues. (2) The Excise Commissioner, if satisfied on enquiry that the applicant is a fit person to hold the required license and the premises in which such person proposes to carry on bottling are suitable, may, grant the license. Every such licensee shall deposit Rs. One lakh as security in the form of e-bank guarantee pledged in the name of the Excise Commissioner, before issue of license. The licensee shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.

5. Amendment of rule 6— In the said rules, for existing rule 6 set out in **Column-I** below, the rule as set out in **Column-II** shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
6- Bond and Security for conducting the Licence- The Licensee shall execute a bond in Form CLB with such security as may be fixed by the Excise Commissioner. The security shall be furnished either in cash or in interest bearing securities, Government Promissory Notes, National Savings Certificate, Post Office Savings, Bank Pass Book or Post Office Cash Certificates or in fixed deposit receipts of the State Bank of India or any other Bank duly approved by the State Government. The security is liable to be increased or decreased by the Excise Commissioner at any time, should he consider for any reason, that the amount so fixed is inadequate or excessive.	6- Bond and Security for conducting the Licence- The licensee shall execute a bond in Form CLB with security to be fixed by the Excise Commissioner. The security shall be either in cash or in the form of interest bearing security, e-bank guarantee pledged to the Excise Commissioner. The security is liable to be increased or decreased by the Excise Commissioner at any time, should he consider for any reason, that the amount so fixed is inadequate or excessive.

6. Amendment of rule 7— In the said rules, for existing rule 7 set out in **Column-I** below, the rule as set out in **Column-II** shall be substituted, namely :—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)									
7. Renewal of Bottling license. (1) Application for the renewal of bottling license shall be made in Form C.L.B-3 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the license. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there be any other sufficient reason, a bottling licence in Form C.L.B-1 or C.L.B-2 may be renewed by the Excise Commissioner for the next excise year, but the license shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2/PD-33 License. (2) The application of renewal for an excise year shall accompany a declaration regarding total number of bottles to be bottled in the excise year for which the renewal is being applied for. Renewal Fee of C.L.B-1 and C.L.B-2 licences for the said excise year, shall be calculated at the rate of rupees two lacs per Fifty lacs bottles or part thereof, to be bottled in prescribed capacities, as mentioned in the said declaration and the same shall be deposited by the licensee in advance.	7. Renewal of Bottling license. (1) Application for the renewal of bottling license shall be made in Form C.L.B-3 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the license. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there is any other sufficient reason, a bottling licence in Form C.L.B-1 or C.L.B-2 may be renewed by the Excise Commissioner for the next excise year, but the license shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2/PD-33 License. (2) For licence fee/renewal for a year, the licence/renewal fee shall be payable on the bottles filled by the distillery in the excise year at the following rates:- <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Type of Licence</th><th>Country Liquor/U.P.M.L.</th></tr><tr><td>1.</td><td>CLB-1</td><td>04 paisa per 200 ml.</td></tr><tr><td>2.</td><td>CLB-2</td><td>06 paisa per 200 ml.</td></tr></table> Bottling fee at the above mentioned rate will be deposited at the time of bottling:	Sr. No.	Type of Licence	Country Liquor/U.P.M.L.	1.	CLB-1	04 paisa per 200 ml.	2.	CLB-2	06 paisa per 200 ml.
Sr. No.	Type of Licence	Country Liquor/U.P.M.L.								
1.	CLB-1	04 paisa per 200 ml.								
2.	CLB-2	06 paisa per 200 ml.								

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
Provided that in case the actual number of bottles, to be bottled in the excise year is about to exceed the number of bottles mentioned in the declaration, the licensee shall submit an additional declaration for the same and shall deposit additional amount of renewal fee calculated as above in advance. Provided further that amount deposited as renewal fee shall not be refundable or adjustable in any case. Provided further that rupees two lacs will be the minimum renewal fee for CLB-1 or CLB-2 licenses. Provided further that a franchisee fee equivalent to half of the renewal fee and the additional franchisee fee calculated on the basis of additional renewal fee if any, shall also be payable for renewal of C.L.B-2 license.	Provided that the amount deposited as renewal fee shall not be refundable or adjustable in any case; Provided further that rupees two lacs will be the minimum renewal fee/ license fees for CLB-1 or CLB-2 licenses; Provided also that a franchisee fee equivalent to half of the renewal fee/ license fees and the additional franchisee fee calculated on the basis of additional renewal fee, if any, shall also be payable for renewal of C.L.B-2 license.

7. Amendment of rule 8—In the said rules, for rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
8. Terms and conditions of licence- Every license granted in form C.L.B-1 and C.L.B-2 shall be subject to the following terms and conditions:- (1) the Licensee shall carry the operations of bottling in the premises which is previously approved by the Excise Commissioner or officer authorized by him and duly endorsed on the License. This premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of country liquor; (2) the Licensee shall make no addition or alterations in the said premises without the previous approval of the Excise Commissioner. All such addition and alterations shall be shown in the plan and blue print filed by him; (3) bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The Licensee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected therewith as may be necessary;	8. Terms and conditions of licence- Every license granted in form C.L.B-1 and C.L.B-2 shall be subject to the following terms and conditions:- (1) the licensee shall carry the operations of bottling in the premises which is previously approved by the Excise Commissioner or officer authorized by him and duly endorsed on the License. These premises shall not be used for any other purpose except for bottling and storage of country liquor; (2) the licensee shall make no addition or alterations in the said premises without the previous approval of the Excise Commissioner. All such additions and alterations shall be shown in the plan and blue print filed by him; (3) bottling shall be conducted in separate room(s) set apart for the purpose. The licensee shall erect bottling vats in bottling room(s) for storage of liquor. He may setup in the bottling room(s) such apparatus for filtration, bottling and processes connected therewith as may be necessary;

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(4) bottled liquor shall be stored in separate room(s) ; (5) every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used; (6) Blending or Reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner; (7) addition of any flavoring or coloring material or any other substance in country liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner; (8) in special circumstances, a bottling hall approved by the Excise Commissioner for bottling of Indian Made Foreign Liquor, can also be used for bottling of country liquor with prior permission of Excise Commissioner provided that in any case at the time of bottling of country liquor , bottling of Indian Made Foreign liquor shall not be carried out; (9) the licensee shall bottle country liquor in bottles or other containers of such capacities and strength as are prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government; (10) the licensee shall comply with the directions issued by the Excise Commissioner in respect of bottles or other containers used for bottling of country liquor; (11) The word "UPE" along with the last two digits of the year shall be overprinted on the label of the glass or pet bottles including tetra pack; (12) immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled, labeled and affixed with security code before removing to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and this batch number shall be noted on the label. A digital record will also be maintained and submitted online on designated portal of Excise Department daily;	(4) bottled liquor shall be stored in separate room(s) ; (5) every room shall bear on the outside a board on which shall be painted legibly the purpose for which the room is used; (6) blending or reducing is prohibited except under and in accordance with the special permission of Excise Commissioner; (7) addition of any flavoring or coloring material or any other substance in country liquor is prohibited except under and in accordance with the special sanction of the Excise Commissioner; (8) in special circumstances, a bottling hall approved by the Excise Commissioner for bottling of Indian Made Foreign Liquor, can also be used for bottling of country liquor with prior permission of Excise Commissioner : Provided that in any case at the time of bottling of country liquor, bottling of Indian Made Foreign liquor shall not be carried out; (9) the licensee shall bottle country liquor in bottles or other containers of such capacities and strength as are prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government; (10) the licensee shall comply with the directions issued by the Excise Commissioner in respect of bottles or other containers used for bottling of country liquor; (11) the letters "UPE" along with the last two digits of the year shall be overprinted on the label of the tetra pack; (12) immediately after the bottles have been filled up, they shall be corked, capsuled, labeled and affixed with security code before removing to the room for storage of bottled liquor. A distinctive serial number to be known as the batch number shall be assigned to each bottling operation and this batch number shall be noted on the label. A digital record will also be maintained and submitted online on designated portal of Excise Department daily;

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(13) labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures molded or sand blasted thereon.	(13) labels on the bottles shall be so affixed as to be easily distinguishable. No label shall be pasted over the words, letters and figures molded or sand blasted thereon;
(14) the licensee shall print the maximum retail price on the label of country liquor to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible;	(14) the licensee shall print the maximum retail price on the label of country liquor to be sold in Uttar Pradesh which shall be easily visible;
(15) bottling unit shall make all such arrangements as prescribed in solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.	(15) bottling unit shall make all such arrangements as prescribed in the Solid Waste Management Rules, 2016 for recycling and management of solid wastes.

4- Amendment of Form CLB-1 and Form CLB-2—In the said rules, for the existing Forms CLB-1 and Form CLB-2 **set out** in Column-I below, the **Forms as set out** in Column-II below shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing Forms)	Column-II (Forms as hereby substituted)
C.L.B - 1 [RULE 3]	FORM C.L.B - 1 [RULE 3]
License for the bottling of Country Liquor	License for the bottling of Country Liquor
Register No	Register No
Name and Address of Licensee	Name and Address of Licensee
Locality	Locality.....
License for the bottling of Country Liquor and to dispatch it to wholesale licenses after payment of the consideration fee and other fee payable as the case may be, is hereby granted to in the district of for the period from to for which license fee as calculated in rule-7(2) of the The Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022, and prescribed security under rule-5(2) has been paid/submitted in advance. This license is subject to the other provisions of the said rules and the conditions given below, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the cancellation of his license and forfeiture of the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.	License for the bottling of Country Liquor and to dispatch it to wholesale licenses after payment of the consideration fee and other fee payable as the case may be, is hereby granted to in the district of for the period from to for which license fee as calculated in rule-7(2) of the The Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022, and prescribed security under rule-5(2) has been paid/submitted in advance. This license is subject to the other provisions of the said rules and the conditions given below, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the cancellation of his license and forfeiture of the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.

Column-I <i>(Existing Forms)</i>	Column-II <i>(Forms as hereby substituted)</i>
Description of licensed Premises. East West North South Geo tagging:- latitude longitude	Description of licensed Premises. East West North South Geo tagging:- latitude longitude
CONDITIONS - The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner. - The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles as bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. - Coloring, blending, flavouring or reduction of spirit is strictly prohibited in the bottling premises except under and in accordance with the special permission of the Excise Commissioner. - The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of glass or pet bottles including tetra pack. - The licensee will stock separately his own product after bottling. - All technical information will be provided by licensee to the department timely. - All the issues shall be made to the wholesale licenses of country liquor of Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues. - The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious or has criminal background. - A technical inspection of C.L.B-1 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling shall begin. - No bottled country liquor shall be issued from the licensed premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.	CONDITIONS - The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner. - The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles as bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. - Coloring, blending, flavouring or reduction of spirit is strictly prohibited in the bottling premises except under and in accordance with the special permission of the Excise Commissioner. - The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of tetra pack. - The licensee will stock separately his own product after bottling. - All technical information will be provided by licensee to the department timely. - All the issues shall be made to the wholesale licenses of country liquor of Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues. - The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious or has criminal background. - A technical inspection of C.L.B-1 premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling shall begin. - No bottled country liquor shall be issued from the licensed premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh.

Column-I <i>(Existing Forms)</i>	Column-II <i>(Forms as hereby substituted)</i>
11. Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible. 12. The Licensee shall strictly comply with the rules and regulations relating to the bottling of country liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of country liquor as provided in the U.P. Excise Act, 1910 and the rules made thereunder. Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	11. Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible. 12. The Licensee shall strictly comply with the rules and regulations relating to the bottling of country liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of country liquor as provided in the U.P. Excise Act, 1910 and the rules made thereunder. Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
ENDORSEMENT OF RENEWAL This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:- Period Excise Commissioner, Uttar Pradesh. C.L.B - 2 [Rule 3(2), 3(3)] License for the bottling of Country Liquor	ENDORSEMENT OF RENEWAL This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:- Period Excise Commissioner, Uttar Pradesh. FORM C.L.B - 2 [Rule 3(2), 3(3)] License for the bottling of Country Liquor
Register No Name and Address of Licensee Locality..... License for the bottling of Country Liquor and to dispatch it to wholesale licenses after payment of the consideration fee and other fee payable as the case may be, is hereby granted to in the district of for the period from to at (name of the distillery holding CLB-1 license) for which license fee and franchisee fee as calculated in rule-7(2) of the The Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022, and prescribed security under rule-5(2) has been paid/submitted in advance. This license is subject to the other provisions of the said rules and the conditions given below, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the cancellation of his license and forfeiture of the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.	Register No Name and Address of Licensee Locality License for the bottling of Country Liquor and to dispatch it to wholesale licenses after payment of the consideration fee and other fee payable as the case may be, is hereby granted to in the district of for the period from to at (name of the distillery holding CLB-1 license) for which license fee and franchisee fee as calculated in rule-7(2) of the The Uttar Pradesh Bottling of Country Liquor Rules, 2022, and prescribed security under rule-5(2) has been paid/submitted in advance. This license is subject to the other provisions of the said rules and the conditions given below, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the licensee liable to the cancellation of his license and forfeiture of the security deposit in addition to any of the penalties imposed under the above laws.

Column-I <i>(Existing Forms)</i>	Column-II <i>(Forms as hereby substituted)</i>
Description of licensed Premises. East West North South Geo tagging:- latitude longitude	Description of licensed Premises. East West..... North South Geo tagging:- latitude longitude
<u>CONDITIONS</u> (1) The licensee shall obtain country liquor for bottling as and when required in bulk only from the distillery holding a license in Form CLB-1 which has let or assigned its bottling privilege to him, as per relevant rules. (2) The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity so let or assigned. (3) The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of glass or pet bottles including tetra pack. (4) The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. (5) Colouring, blending, flavoring and reduction of spirit, unless specially permitted by the Excise Commissioner is strictly prohibited in the bottling premises. (6) The licensee shall strictly comply with the rules and regulation relating to the bottling of Country Liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of Country Liquor as provided in the U.P. Excise Act,1910 and the rules made there under. (7) The licensee will stock separately his own product after bottling. (8) All technical information will be provided by licensee to the department timely. (9) All the issues shall be made to the wholesale licenses of county liquor in Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.	<u>CONDITIONS</u> (1) The licensee shall obtain country liquor for bottling as and when required in bulk only from the distillery holding a license in Form CLB-1 which has let or assigned its bottling privilege to him, as per relevant rules. (2) The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity so let or assigned. (3) The licensee shall make arrangements to overprint the words "UPE", volume and last two digit of the year on the label of tetra pack. (4) The licensee shall be entitled to put his own brand name on the labels of the bottles bottled by him after obtaining approval of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. (5) Colouring, blending, flavoring and reduction of spirit, unless specially permitted by the Excise Commissioner is strictly prohibited in the bottling premises. (6) The licensee shall strictly comply with the rules and regulation relating to the bottling of Country Liquor and rules pertaining to issue, possession and transport of Country Liquor as provided in the United Provinces Excise Act,1910 and the rules made thereunder. (7) The licensee will stock separately his own product after bottling. (8) All technical information will be provided by licensee to the department timely. (9) All the issues shall be made to the wholesale licenses of county liquor in Uttar Pradesh after full payment of consideration fee and other dues.

Column-I <i>(Existing Forms)</i>	Column-II <i>(Forms as hereby substituted)</i>
(10) The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or has criminal background. (11) A technical inspection of C.L.B-2premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling will have to begin. (12) The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner. (13) No bottled country liquor shall be issued from the licensed premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh. (14) Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible. Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	(10) The licensee shall not employ any person as worker who is below 21 years of age or is suffering from any infectious disease or has criminal background. (11) A technical inspection of C.L.B-2premises will be done by the competent authority nominated by Excise Commissioner and after finding satisfactory report the bottling will have to begin. (12) The licensee shall not be entitled to bottle country liquor in excess of the quantity as sanctioned by the Excise Commissioner. (13) No bottled country liquor shall be issued from the licensed premises without affixing Security code approved by the Excise Department for sale in Uttar Pradesh. (14) Licensee shall print Maximum Retail Price approved by Excise Commissioner on the labels of country liquor for sale in Uttar Pradesh which will be easily visible. Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
ENDORSEMENT OF RENEWAL This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:- Period..... Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	ENDORSEMENT OF RENEWAL This license is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:- Period..... Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

By order,
DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.